फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

कमला

प्रतिवादी श्री नारायण

कदमा 53,88,188 R.T.Act पत्रावली संख्या 127/22 सन्......................

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षरवादी /प्रतिवादी/ गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
दिनांक :– 18.11.2022 पत्रावली उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांकः प.12/3/राज./विविध/2021/1678 दिनांक 10.09.2021 व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 244 दिनांक 28.09.2021 द्वारा उपखण्ड भीण्डर के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पूर्ण पत्रावलियों को उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर न्यायालय वल्लभनगर से भीण्डर स्थानान्तरित की गई है। उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर अंतिम आदेशिका पर अंकित दिनांक 25.10.2017 अंकित है। वादी श्री कमला पिता पदा मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को दर्ज किये जाने व प्रकरण मे वादी की समस्त आराजी को प्रार्थना पत्र में सेहवन से सम्मिलित नही किये जाने से एवं नया वाद पत्र प्रस्तुत करनें के अधिकार को रिर्जव रखते हुए वाद पत्र विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी के निवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया की वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का प्रस्तुत कर वाद पत्र विड्रो किये जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। वादी द्वारा वाद पत्र विड्रो किये जाने से इस वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः वादी का नया वाद पत्र पेश करने के अधिकार को रिर्जव रखते हुए वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।	दि- कमला मेरे पहचान की [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.01.16 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner